(b) the total iron ore reserves actually exploited or in existence; and

(c) the value of machinery employed indicating its Original values as well as written down value ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) Details of iron ore production in Chiria Iron Ore Mines during the last three years are as under :

Year	Production in MT	Quality Fe%
1991	2,49,730.87	62.00%
1992	2,58,840.80	62.02%
1993	2,57,236.82	62.04%

(b) The total iron ore reserves as on date are estimated to be 2,000 million tonnes.

(c) The value of machinery employed indicating its Original values as well as written down value, as informed by Steel Authority of India Limited, is given below :

(i) Original value audited as on 31-3-93 Rs. 101.30 lakh

(ii) Written down value audited as on 31-3-93 Rs. 45.42 lakh

निजी क्षेत्र में नए इस्पात उद्योगों की स्थापना

1701. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नए इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत जुलाई, 1991 से जनवरी, 1994 तक सरकार को कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों के अनुसार देश में इस्पात उद्योग को कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा किए जाने और कितनी अतिरिक्त पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, कितने नामंजूर किए गए हैं, कितने विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गयी है । अतः नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और अब उद्योगियों को केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ।

जुलाई, 1991 से इस्पात और इस्पात-आधारित उद्योगों के लिए 1000 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं । इन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों से सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता तथा उन पर अतिरिक्त निवेश इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से कितनी परियोजनाएं वास्तविक रूप से कार्यान्वित की जाती हैं ।

ऐंटी डम्पिंग कानून बनाए जाने के लिए भारती इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अनुरोध ।

1702. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :